



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 29 27 श्रावण 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
18 अगस्त 2021 (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-19	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	20-20	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचनाएं

10 मार्च 2021

सं० 138 नि०—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोर्ट) से असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) में पदोन्नत करते हुए उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान, जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे, पर असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोर्ट) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा (11) की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को, उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ पदोन्नति के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्रीमति सुप्रिया सिंह चौहान, मुंसिफ, गया (गया)।	अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) गया स) गया
2.	श्रीमति रितु कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अररिया (अररिया)।	अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) अररिया स) अररिया
3.	श्री अरविन्द कुमार दास, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना (पटना)।	अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना
4.	श्री रंजय कुमार, मुंसिफ-सह-न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मसौढ़ी (पटना)।	अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 10th March 2021

No. 138 A:--The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below have been promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) and on promotion they are appointed and posted in the manner as indicated in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to confer upon the Judicial Officers named below, who have been appointed as Sub-Judge-cum- A.C.J.M., the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the

concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officers, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which appointed on promotion
1	2	3
1.	Ms. Supriya Singh Chauhan Munsif, Gaya (Gaya)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Gaya c) Gaya
2.	Ms. Ritu Kumari J.M. 1 st Class, Araria (Araria)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Araria c) Araria
3.	Sri Arvind Kumar Das J.M. 1 st Class, Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna
4.	Sri Ranjay Kumar Munsif-cum-J.M. 1 st Class, Masaurhi (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

26 मार्च 2021

सं० 155 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1.	श्री अविनाश कुमार-1 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (पटना)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) झंझारपुर स) मधुबनी
2.	श्री अविनाश कुमार-2 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (पटना)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बेनीपुर स) दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 26th March 2021

No. 155 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Avinash Kumar - I A.D.J., Patna (Patna)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Jhanjharpur (c) Madhubani
2.	Sri Avinash Kumar - II A.D.J., Patna (Patna)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Benipur (c) Darbhanga

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

8 अप्रैल 2021

सं० 157 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री गजनफर हैदर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर (वैशाली) की सेवायें, पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना (अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग के अंतर्गत) के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 8th April 2021

No. 157 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Ghazanfer Haider, Additional District and Sessions Judge, Vaishali at Hajipur is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for being placed at the disposal of the Minority Welfare Department, Government of Bihar, Patna for his appointment as Presiding Officer, Bihar Waqf Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

18 मई 2021

सं० 159 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारियों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तंभ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानांतरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1.	2.	3.	4.
1.	श्री जितेन्द्र कुमार, निदेशक, बिहार जुडिसियल एकाडमी, पटना	गया	रिक्त
2.	श्री शिव गोपाल मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद	भागलपुर	स्थानान्तरित श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय के स्थान पर
3.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय	वैशाली स्थित हाजीपुर	रिक्त

4.	श्री कृष्ण मुरारी शरन, सदस्य सचिव, बिहार राज्य लिगल सर्विसेस आथॉरिटी, पटना	औरंगाबाद	स्थानान्तरित श्री शिव गोपाल मिश्रा के स्थान पर
5.	श्री मनोज कुमार सिन्हा, निबंधक (लिस्ट), पटना उच्च न्यायालय, पटना	मुजफ्फरपुर	रिक्त
6.	डा० अशोक कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर	मुंगेर	रिक्त
7.	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-I प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा	लखीसराय	स्थानान्तरित श्री चन्द्र प्रकाश सिंह के स्थान पर
8.	श्री अजीत कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दरभंगा	सिवान	रिक्त
9.	श्री राम बाबु त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जमुई	बांका	स्थानान्तरित श्री बलराम दुबे के स्थान पर
10.	श्री कमरूल होदा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सासाराम	जहानाबाद	स्थानान्तरित श्री आलोक कुमार पाण्डेय के स्थान पर
11.	श्री राजीव रंजन, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेतिया	कटिहार	रिक्त

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 18th May 2021

No. 159 A : --The following officers named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Jitendra Kumar, Director Bihar Judicial Academy, Patna	Gaya	Since Vacant
2.	Sri Shiv Gopal Mishra, District and Sessions Judge, Aurangabad.	Bhagalpur	Vice Sri Arvind Kumar Pandey, since transferred.
3.	Sri Chandra Prakash Singh, District and Sessions Judge, Lakhisarai.	Vaishali at Hajipur	Since Vacant
4.	Sri Krishna Murari Sharan, Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna.	Aurangabad	Vice Sri Shiv Gopal Mishra, since transferred.

5.	Sri Manoj Kumar Sinha, Registrar (List), Patna High Court, Patna.	Muzaffarpur	Since Vacant
6.	Sri Ashok Kumar Pandey, Principal Judge, Family Court, Buxar.	Munger	Since Vacant
7.	Sri Ajay Kumar Srivastava I, Principal Judge, Family Court, Madhepura.	Lakhisarai	Vice Sri Chandra Prakash Singh, since transferred.
8.	Sri Ajit Kumar Sinha, Principal Judge, Family Court, Darbhanga.	Siwan	Since Vacant
9.	Sri Ram Babu Tripathi, Principal Judge, Family Court, Jamui.	Banka	Vice Sri Balram Dubey, since transferred.
10.	Sri Quamrul Hoda, Principal Judge, Family Court, Sasaram.	Jehanabad	Vice Sri Alok Kumar Pandey, since transferred.
11.	Sri Rajiv Ranjan, Principal Judge, Family Court, Bettiah.	Katihar	Since Vacant

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

21 मई 2021

सं० 160 नि०:—श्री जितेन्द्र कुमार दुबे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 21st May 2021

No. 160 A:—Sri Jitendra Kumar Dubey, Principal Judge, Family Court, Nawadah is transferred and posted as District and Sessions Judge, Sheikhpura, since vacant.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

1 जून 2021

सं० 162 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री आलोक कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद की सेवायें निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 162 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Alok Kumar Pandey, District and Sessions Judge, Jehanabad are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as

Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

1 जून 2021

सं० 163 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री भारत भूषण भसीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम की सेवायें अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 163 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Bharat Bhushan Bhasin, Addl. District and Sessions Judge, Rohtas at Sasaram are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

1 जून 2021

सं० 164 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री आदित्य पाण्डेय, सब जब—सह—ए.सी.जे.एम. की सेवायें प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 164 A:—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Aditya Pandey, Sub Judge-cum-ACJM, Nalanda at Biharsharif are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Administrative Officer, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

1 जून 2021

सं० 165 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर की सेवायें बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के सदस्य सचिव के पद पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 165 A :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Arvind Kumar Pandey, District and Sessions Judge, Bhagalpur are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment to the post of Member Secretary, Bihar State Law Commission, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

1 जून 2021

सं० 166 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री बलराम दूबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका की सेवायें सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 166 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Balram Dubey, District and Sessions Judge, Banka are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

1 जून 2021

सं० 167 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री धृति जसलीन शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास, सासाराम की सेवायें संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 167 A:--On being relieved of his present assignment, the services of Ms. Dhriti Jasleen Sharma, Additional District and Sessions Judge, Rohtas at Sasaram are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for her appointment as Joint Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

1 जून 2021

सं० 168 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री प्रह्लाद कुमार, सब जज—सह—ए.सी.जे.एम., दानापुर (पटना) की सेवायें निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 1st June 2021

No. 168 A :--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Prahlad Kumar, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Danapur, Patna are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.

2 जून 2021

सं० 169 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश,

कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	अनुपमा, सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) छपरा स) सारण	सारण

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 2nd June 2021

No. 169 A:--The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Ms. Anupama, Assistant Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna	(a) Judicial Magistrate (b) Saran at Chapra (c) Saran at Chapra	Saran at Chapra

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

16 जून 2021

सं0 170 नि0:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री किरण ओझा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सारण, छपरा एवं सुश्री आरती कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर की सेवायें सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अन्तर्गत सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 16th June 2021

No. 170 A:--On being relieved of their present assignment, the services of Ms. Kiran Ojha, Judicial Magistrate 1st Class, Saran at Chapra and Ms. Arati Kumari, Judicial

Magistrate 1st Class, Muzaffarpur are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for their appointment as Assistant Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

19 जून 2021

सं० 171 नि०:—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर सुश्री सुचित्रा सिंह, सब जज-सह-ए०सी०जे०एम० की सेवायें सहायक निदेशक (आर एंड टी), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 19th June 2021

No. 171 A :--On being relieved of her present assignment the services of Ms. Suchitra Singh, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Samastipur are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on her appointment as Assistant Registrar (R&T), Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

26 जून 2021

सं० 172 नि०:—श्री नसिमुल होदा, उप निबंधक-सह-वरीय सचिव के मृत्यु के उपरांत रिक्त हुए पद पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री संजीव कुमार, सहायक निबंधक-सह-सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल-12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का उपनिबंधक-सह-वरीय सचिव नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
एन० के० पाण्डेय, महानिबंधक।

The 26th June 2021

No. 172 A :--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to promote temporarily, Sri Sanjeev Kumar, Assistant Registrar-cum-Secretary, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar-cum-Senior Secretary, Patna High Court, Patna in the Level-12 in the revised pay structure with effect from the date he assumes charge of his office in chain of vacancy occurring on account of death of Sri Nasimul Hoda, Deputy Registrar-cum-Senior Secretary, Patna High Court, Patna.

**By Order of the Hon'ble the Chief Justice,
N. K. Pandey, Registrar General.**

29 जून 2021

सं० 176 नि०:—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ-3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री सौरभ सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी, किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना	(अ) अवर न्यायाधीश-सह- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) औरंगाबाद (स) औरंगाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 29th June 2021

No. 176 A :--The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against his name in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he will work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1.	2.	3.
1.	Sri Saurabh Singh Research Officer, Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Aurangabad c) Aurangabad

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

29 जून 2021

सं0 177 नि0:—श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में पदस्थापित विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, पटना को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
एन0 के0 पाण्डेय, महानिबंधक।

The 29th June 2021

No. 177 A :---Sri Purushottam Mishra, Additional District and Sessions Judge, presently posted as Officer-on-Special Duty, Patna High Court, Patna is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge, Buxar.

**By order of the High Court,
N. K. Pandey, Registrar General.**

कृषि विभाग**अधिसूचना****22 जुलाई 2021**

सं० एम०एम०एस०ए०को०-154/2021-225—बिहार राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का कार्यान्वयन किया जाना है। योजना कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में योजनाओं के निर्माण, स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर कमिटी का गठन किया जाना है। मार्गदर्शिका में अंकित दिशा-निर्देश के आलोक में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) योजनान्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर कमिटी गठन का निर्णय लिया गया है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से होगी :-

(क) मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (State Level Executive Committee) की संरचना निम्न प्रकार से होगी:-

1	कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4	कुलपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	विशेषज्ञ सदस्य
5	कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	विशेषज्ञ सदस्य
6	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य सचिव
7	उद्यान निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक, जीविका, बिहार, पटना	सदस्य
9	निदेशक, आई०सी०ए०आर० - आर०सी०ई०आर०, पटना	विशेषज्ञ सदस्य
10	निदेशक, बिहार राज्य सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना	सदस्य
11	निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना	सदस्य
12	क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, पटना	विशेषज्ञ सदस्य
13	दो (2) अग्रणी किसान (अध्यक्ष द्वारा चयनित)	सदस्य

राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य स्तर पर योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी।

(ख) मार्गदर्शिका के आलोक में जिला स्तर पर योजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति (District Level Executive Committee) की संरचना निम्न प्रकार होगी:-

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	सदस्य
3	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
4	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य सचिव
5	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य
6	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	विशेषज्ञ सदस्य
7	सहायक निदेशक (उद्यान)	सदस्य
8	सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला	सदस्य
9	सहायक निदेशक, भूमि संरक्षण	सदस्य

जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति योजना परिचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी।

राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति एवं जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार, सचिव।

निगरानी विभाग**सूचना भवन, पटना****अधिसूचना****20 जुलाई 2021**

सं० नि०वि०स्था०-122/2006-2507—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के डॉ० जयप्रकाश मिश्रा, पिता—श्री एम० पी० मिश्रा, मौर्या पथ, ज्योतिपुराम कॉलोनी, खाजपुरा, बी०वी० कॉलेज, पटना-800014 को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर प्रथम तीन वर्षों के लिए तथा अधिकतम

उम्र सीमा 68 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त अनुबंधित शर्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदाधिकारी को प्रति माह परिलब्धि के रूप में ₹ 70,000/- (सत्तर हजार रुपये) देय होगा। इसके अतिरिक्त कर्तव्य के क्रम में किये गये यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता बिहार निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो के समकक्ष पदाधिकारियों को देय भत्ता के अनुरूप प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आवास एवं कार्यालय मद में ₹ 12,000/- (बारह हजार रुपये) प्रति माह के अतिरिक्त मोबाईल फोन (रिचार्ज) व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रति माह प्राप्त होंगे।

3. उपर्युक्त पदाधिकारी अपना योगदान निगरानी विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना में दिनांक 10.08.2021 तक अवश्य दे दें।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को योगदान देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. योगदान देते ही सर्वप्रथम उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा।

आदेश से,

मो० जहाँगीर आलम, उप-सचिव।

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

The 29th December 2020

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/2020-3432--WHEREAS, It is alleged that **Sri Devendra Prasad Singh the then Peshkar, Presently retired, District Registration Office, Patna, Permanent Address Vill.-Kanhauri Dhanraj, P.S.- Mahua, District-Vaishali and Present Address-Flat No.-104A, Vishnu Enclave, Street No.-01, Salimpur Ahra, P.S.-Gandhi Maidan, District-Patna** while holding the post of **Sri Devendra Prasad Singh the then Peshkar, Presently retired, District Registration Office, Patna** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. **Case No. 57/2018 dated 19-12-2018.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said that **Sri Devendra Prasad Singh the then Peshkar, Presently retired, District Registration Office, Patna** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible, Additional Chief Secretary.

ग्रामीण विकास विभाग**अधिसूचनाएं**

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) रोहतास-01/2021-518046--श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचस, रोहतास के विरूद्ध मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल नहीं होने तथा राशन कार्ड निर्गमन एवं डी०बी०टी० जैसे कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने का आरोप जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-923 दिनांक 10.12.2020 के द्वारा आरोप प्रतिवेदित है।

जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें प्रतिवेदित है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत कोचस प्रखंड को प्राप्त कुल 70 लक्ष्य में तत्कालीन समय में पांचवे चरण तक कुल 57 लाभुकों का चयन एवं स्वीकृति पत्र दिया गया एवं कुल 31 लाभुकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया, जिसमें से पुनः 11 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया गया। इस प्रकार 70 लक्ष्य के विरूद्ध पांचवे चरण तक कुल 68 लाभुकों को स्वीकृति पत्र बांटा गया।

जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा राशन कार्ड निर्गमन एवं डी०बी०टी० जैसे कार्यों में अभिरूचि नहीं लिया गया है। जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत लोकहित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचस, रोहतास सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोह, औरंगाबाद के विरूद्ध भविष्य के लिये सचेष्ट किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (सू०अं०) भोज०-07/2020-518050--श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा (भोजपुर) के विरूद्ध वाद संख्या A8340/2018 श्री राजकुमार सिंह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा, भोजपुर में ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-8612 दिनांक 22.01.2020 के द्वारा आरोप प्रतिवेदित है।

राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त है। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परिवादी द्वारा मांगी गई सूचना पूर्वी गुण्डी के पंचायत सचिव स्व० राज किशोर सिंह के प्रभार में था। ऐसी स्थिति में पंचायत सचिवों को विभाग से स्थानान्तरण होने के पश्चात तीन पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, बड़हरा, भोजपुर में पदस्थापित किया गया। चूंकि पंचायत सचिव पूर्वी गुण्डी के मृत्यु हो जाने के कारण पंचायत से संबंधित अभिलेख, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं अन्य कागजातों का प्रभार नहीं मिल पाया, जिस कारण परिवादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पंचायत पूर्वी गुण्डी का आज तक पुराना दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। जिस कारण परिवादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत बरती गयी लापरवाही एवं असंवेदनशीलता के लिए श्री सुशील कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा (भोजपुर) सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध 'निर्दण्ड' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री प्रकाश के चारित्रि में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) पटना-06/2016-518055--श्री रवि कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावा, पटना के विरुद्ध लम्बे समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप पर विभाग द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें प्रतिवेदित है कि बिपार्ड प्रशिक्षण संबंधी विभागीय आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, पटना से विरमित होकर मां की बीमारी के बावजूद बिपार्ड प्रशिक्षण की अवधि में उन्होंने कुशलतापूर्वक पूर्ण किया।

मां की तबियत गंभीर रूप से खराब होने के कारण प्रशिक्षण अवधि समाप्त कर उन्होंने जिलाधिकारी, पटना को मां की बीमारी की सूचना के साथ अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आवेदन प्रेषित किया और इसकी प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को प्रेषित किया। मां की बीमारी की स्थिति में उनके सेवा एवं देखभाल करने हेतु अवकाश की अवधि में वृद्धि की स्वीकृति संबंधी अभ्यावेदन उन्होंने जिलाधिकारी, पटना को समय-समय पर समर्पित किया।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्यहीन है। उनका आचरण सरकारी पदाधिकारी के प्रतिकूल है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए श्री रवि कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावा, पटना सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत, नालंदा के विरुद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरगन डी०, सचिव।

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-03/2018-518056--श्री तेज बहादुर सुमन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी (भोजपुर) के विरुद्ध स्वच्छता कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने तथा लाभुकों का शौचालय निर्माण का भुगतान लंबित रखने, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं लेने, आवास योजना की प्रगति लक्ष्य से काफी पीछे रहने एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना का आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, आरा के पत्रांक-3666 दिनांक 13.09.2018 के द्वारा आरोप प्रतिवेदित है।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सुमन का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें प्रतिवेदित है कि गड़हनी प्रखंड में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का कुल समेकित लक्ष्य 797 के विरुद्ध कुल पंजीकरण लाभुकों की संख्या-859 है, जियो टैगिंग किये गये लाभुकों की संख्या-797 है तथा कुल 561 लाभुकों का आवास भी पूर्ण हो चुका है।

दिनांक 26.08.2018 को अचानक मां का तबियत खराब हो जाने के कारण इलाज करवाने के क्रम में स्वच्छता से संबंधित बैठक में वे अनुपस्थित हो गये।

जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सुमन के द्वारा उनके विरुद्ध धारित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है एवं प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है जिससे लोक हित के कार्य में शिथिलता एवं सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप स्पष्ट होता है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए श्री तेज बहादुर सुमन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी (भोजपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौगाई, बक्सर के विरुद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सुमन के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

5 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) सम०-02/2019-514679--श्री लक्ष्मण कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूसा (समस्तीपुर) के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में शिथिलता, शत प्रतिशत लाभुकों के जियो टैग नहीं कराने, प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने, मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, सरकारी मोबाईल बंद रखने जैसे आरोपों के लिये जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-04 (मु०)/विकास दिनांक 16.02.2019 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' विभाग को प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण में उन्होंने उल्लेख किया है कि इंदिरा आवास योजना में लगातार अथक प्रयास के बाद 1617 के विरूद्ध 950 आवास पूर्ण कराया जा सका । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में समेकित रूप से कुल लक्ष्य 1005 में से 978 (97.3 प्रतिशत) को प्रथम किस्त भुगतान किया गया एवं 496 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया । द्वितीय किस्त प्राप्त 496 लाभुकों में से 137 द्वारा आवास पूर्ण किया गया ।

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है । इनके द्वारा इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शिथिलता बरती गयी है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने के लिए श्री लक्ष्मण कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूसा (समस्तीपुर) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहई, नालंदा को 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्र्य में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

9 अगस्त 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर-09/2017-518073--श्री सन्नी सौरभ, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अगिआँव, भोजपुर के विरूद्ध अनधिकृत रूप से कर्तव्य अनुपस्थित रहने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के पत्रांक-1140 दिनांक 13.11.2017 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोपों पर श्री सौरभ से विभागीय पत्रांक 141501 दिनांक 07.12.2017 स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री सौरभ के पत्रांक-शून्य दिनांक 20.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री सौरभ के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा दिनांक 23.01.2018 को जिला कार्यालय भोजपुर में योगदान दिया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री सन्नी सौरभ, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अगिआँव, भोजपुर सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुप्पी, सीतामढ़ी को भविष्य में सचेष्ट किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya

Order
The 2nd August 2021

No. XI-K-रा०-01/2019-2340---In the light of proposal received from Collector, Gaya vide letter no. 362, dated 12-07-2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

Sl.	Officer Name	Designation	Remarks
1	Sri Santosh Kumar Shrivastava	Addl. Collector (D.E.) Gaya	For Gaya District
2	Sri Vikash Kumar	District Transport Officer, Gaya	For Gaya District

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dated 29.07.2021.

By Order,
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचनाएं
4 अगस्त 2021

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2102/प०व०,ज०प०—सुश्री रुचि सिंह, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना (अतिरिक्त प्रभार—वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य योजना प्रमंडल, पटना) अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2103/प०व०,ज०प०—श्री संजीव रंजन, भा०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2104/प०व०,ज०प०—श्री रविन्द्र कुमार रवि, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री संजय कुमार सिन्हा, भा०व०से० संप्रति चिकित्सकीय अवकाश पर, के स्वस्थ होकर वापस लौटने तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2105/प०व०—श्री बैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता, बि०व०से० (संविदा), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को स्थानांतरित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अपने नियत मानदेय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2106/प०व०,ज०प०—श्री प्रभाकर झा, बि०व०से० (संविदा), वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें उप वन संरक्षक, कार्यालय—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अपने नियत मानदेय में अगले आदेश तक पदस्थापित करते हुए प्रमंडलीय प्रबंधक, बिहार वानिकी विकास निगम, पटना के पद पर कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2107/प०व०,ज०प०—श्री अमित कुमार बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, गया वन प्रमंडल, गया (अतिरिक्त प्रभार—इमामगंज वन प्रक्षेत्र) को स्थानांतरित करते हुए उन्हें उप निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

4 अगस्त 2021

सं० 2/बि०व०से० (स्था०)-03/2018-2108/प०व०,ज०प०—श्री राजकुमार शर्मा, बि०व०से०, सहायक वन संरक्षक, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ को पूर्व से अपने कार्यों के अतिरिक्त आवंटित अधौरा वन प्रक्षेत्र के प्रभार से मुक्त करते हुए अगले आदेश तक मोहनिया वन प्रक्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

12 अगस्त 2021

सं० निग/सारा-4 (पथ) आरोप-48/2014-4027(s)—मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत रून्नी सैदपुर-कटरा-केवटसा पथ के कि०मी० 26.15 में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त हो जाने के संबंध में अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पत्रांक-2658 दिनांक 10.09.14 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में संलग्न श्री बाल कृष्ण सिंह, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर को विभागीय अधिसूचना संख्या-9993 (एस) दिनांक 16.10.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11247 (एस) अनु० दिनांक 25.11.14 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध अपर विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक-974 अनु० दिनांक 29.08.16 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-“क” में गठित एक मात्र आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-“क” के तहत गठित आरोप एवं गठित विभागीय मंतव्य के संदर्भ में सन्निहित तकनीकी बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी के द्वारा विश्लेषण नहीं किया गया और न ही अपना कोई सुस्पष्ट अभिमत ही गठित किया गया है बल्कि श्री सिंह के बचाव-बयान मात्र को ही आरोप अप्रमाणित होने का आधार बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से उत्पन्न असहमति के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए विभागीय पत्रांक-786 (एस) अनु० दिनांक 02.02.17 द्वारा श्री सिंह को द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया।

3. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक-शून्य, दिनांक 22.02.17 की विभाग के स्तर पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर विस्तृत एवं व्यापक संदर्भ में की गयी समीक्षा के उपरांत विषयांकित निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त हो जाने के सन्निहित आरोपों की तीव्रता एवं गंभीरता को दृष्टिपथ में रखते हुए प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-7819 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-7820 (एस) दिनांक 31.08.17 के द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए **“तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”** का दंड संसूचित किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा उक्त संसूचित दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक 03.10.17 विभाग को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है, जो द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के तथ्य से पृथक् हो और जिस पर सम्यक् रूप से विचार किया जा सके। तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-3839 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-3840 (एस) दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री सिंह के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक 03.10.17 को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त श्री सिंह के निलंबन अवधि के संबंध में नियमानुसार उनसे कारण पृच्छा प्राप्त कर निर्णय लिये जाने के क्रम में निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक 05.09.2017 की समीक्षा के उपरान्त श्री सिंह के निलंबन की अवधि (दिनांक 16.10.2014 से 30.08.2017) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बिताई गयी अवधि के रूप में परिगणित की जा सकेगी, के रूप में विनियमित किये जाने का निर्णय संसूचित किया गया।

5. महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-GN-261020200403019 एवं GEN No.- 1595/2020-2021 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री बालकृष्ण सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को विभागीय पत्रांक-9994 दिनांक 16.10.2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा पत्रांक-7820 दिनांक 31.08.2017 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया गया, जिसके आलोक में दिनांक 01.07.2018, 01.07.2019 तथा 01.07.2020 को वेतन वृद्धि रोका जाना है। किन्तु श्री सिंह दिनांक 31.05.2020 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः श्री सिंह पर विभाग द्वारा लगाया गया दण्ड दिनांक 01.07.2020 तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिनांक 01.07.2020 के वेतन वृद्धि पर रोक के पहले ही वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साथ ही दिनांक 01.07.2018 एवं 01.07.2019 की वेतन वृद्धियाँ नहीं मिल पाने (Restore नहीं होने) के कारण दंड असंचयात्मक से संचयात्मक हो गया है के संबंध में विभागीय निर्णय/मंतव्य की मांग की गयी।

6. एक अन्य समरूप मामले में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श में दण्ड प्रभावी नहीं हो पाने/दण्ड के कारण पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में पूर्व संसूचित दण्ड की तिथि से दण्ड पुनरीक्षण किये जाने का परामर्श दिया गया है।

7. अतः सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य के आलोक में श्री बालकृष्ण सिंह, तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, कार्य प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या-7819 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-7820 (एस) दिनांक 31.08.17 द्वारा संसूचित **“तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक”** के दण्ड को पूर्व संसूचित दण्ड की तिथि से पुनरीक्षित करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:-

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (iv) के तहत दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

13 अगस्त 2021

सं० निग/सारा-4(पथ) आरोप-76/2019-4031(s)—श्री अजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित संचिका संख्या-प्र०-7/विविध-03-45/2019 के पृष्ठ-02/टि० पर **Overwriting** करते हुए दिनांक- 22.01.2019 के स्थान पर दिनांक 31.01.2019 किये जाने, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार के द्वारा संशोधित अनुशंसा में एक के स्थान पर दो निविदादाता अंकित करते हुए **M/S Maa Construction** को असफल निविदादाता में जोड़े जाने तथा सफल निविदादाता की सूची में से **M/S Maa Construction** का नाम काटने तथा टिप्पणी में दिनांक 31.01.2019 की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए संचिका दिनांक 29.01.2019 को उपस्थापित किये जाने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-3367 (एस) अनु० दिनांक 04.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक 18.06.2020 द्वारा उनका स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से सम्भावित आदर्श आचार संहिता (लोकसभा चुनाव-2019) के मद्देनजर युद्ध स्तर पर निविदा निष्पादन की कार्रवाई किये जाने एवं अत्याधिक कार्य बोझ का संदर्भ देते हुए **"Slip of Pen"** के कारण संचिका उपस्थापन के समय दिनांक 29.01.2019 अंकित हो जाने का उल्लेख किया गया है।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतएव श्री कुमार के पत्रांक-शून्य दिनांक 18.06.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम -(i) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-214(एस) दिनांक 12.01.2021 द्वारा **"निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)"** का दंड संसूचित किया गया।

4. उक्त दंड के विरुद्ध श्री कुमार के पत्रांक- शून्य, दिनांक 03.02.2021 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में श्री कुमार द्वारा मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत मामले में उनके द्वारा जानबूझ कर अपनी टिप्पणी में **Overwriting** नहीं किया गया है और न ही जानबूझ कर किसी अन्यथा मंशा से त्रुटिपूर्ण तिथि अंकित किया गया है। चूंकि इसके कारण निविदा के निर्णय पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और न ही विभागीय निविदा समिति को निर्णय लेने में कोई भ्रांति उत्पन्न हुई है। श्री कुमार द्वारा सामान्य मानवीय भूल मानते हुए क्षमा याचना की गई है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया गया है।

5. उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। प्रश्नगत मामले में सम्पूर्ण विषयवस्तु का विश्लेषण करने पर पाया गया कि मुख्य अभियंता, उत्तर के द्वारा तकनीकी बीड के निष्पादन के क्रम में लगभग 16-17 दिनों के अंदर उक्त चारों निविदाकारों के संबंध में सफल/असफल के बिन्दु पर भिन्न-भिन्न अनुशंसा उपलब्ध कराये जाने के कारण आरोपी श्री कुमार के द्वारा टिप्पणी लिखे जाने के क्रम में प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण टिप्पणी लिखा गया, परन्तु इसके बाद उनके स्तर पर ही संज्ञान में आने के बाद अपने त्रुटिपूर्ण टिप्पणी को काटकर अथवा **Overwriting** कर सुधारा गया है, जिसे परिस्थितिजन्य माना जा सकता है। साथ ही यह भी पाया गया कि श्री कुमार के **Overwriting** के कारण **Tender** के निर्णय पर किसी प्रकार का असर नहीं हुआ है। अतएव सम्यक् विचारोपरांत आरोपी श्री कुमार के पुनर्विचार अभ्यावेदन को संतोषजनक मानते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-214 (एस) दिनांक 12.01.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के उपनियम -(i) के तहत पूर्व में निर्गत **"निन्दन (आरोप वर्ष 2019-20)"** के दंडादेश को वापस लेते हुए इस तरह की पुनरावृत्ति न हो के लिये " भविष्य के लिए चेतावनी " दी जाती है।

6. प्रस्ताव में सक्षम अधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 783—मैं रागिनी बाला पिता सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी—101, श्री जगदीश रेसिडेन्सी, शांति निकेतन कॉलोनी, भूतनाथ रोड, पटना—26, घोषणा करती हूँ कि विवाहोपरान्त मैं अपना नाम रागिनी बाला गुप्ता रख ली हूँ। अब इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी। शपथ पत्र संख्या 1280 दिनांक 09.02.2021.

रागिनी बाला।

No. 795--I, REETIKA, D/O- Gajendra Kumar, resident of House no. D-11, Sadhnapuri, near SBI, P.O-G.P.O., P.s.--Gardanibagh, Distt.—Patna-01 Bihar do hereby solemnly affirm and declare that I have added surname to my name and from now onwards I will be known as REETIKA SINGH. Affidavit no.9841/18.6.21.

REETIKA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+10—डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>